– : : आदेश : : –

अतः वाद वादीगण का अधिन धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत तहसीलदार डेह से प्राप्त बंटवारा स्किम अनुसार स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री किया जाकर निम्न प्रकार घोषणा की जाती है कि –

1. वादी भूराराम पुत्र मानाराम के हक बंट कब्जा काश्त व खातेदारी में मौजा निम्बोडा के खेत ख.न. 96 रकबा 15.8556 हेक्टेयर मे से 3.2375 हेक्टेयर पश्चिमी दिशा मे माफिक बंटवारा प्रस्तावनुसार घोषित किया जाता है।
2. वादी सं. 1 ता 4 क्रमशः आसीदेवी, उम्मेदी, केशर, व भंवरी के हक बंट कब्जा काश्त व सहखातेदारी मे मौजा निम्बोडा के खेत ख.न. 96 रकबा 15.8556 हेक्टेयर मे से 12.2701 हेक्टेयर पूर्वी भाग बंटवारा प्रस्ताव अनुसार घोषित किया जाता हैं
3. प्रतिवादी सं. 1 ता 9 के सयुक्त हक बंट कब्जा काश्त व खातेदारी में मौजा अडसिंगा के खेत ख.न. 97/1 रकबा 3.2375 हेक्टेयर सम्पूर्ण एवं ख.न. 97 रकबा 10.8375 हेक्टेयर मे से रकबा 10.5837 हेक्टेयर बंटवारा प्रस्ताव अनुसार घोषित किया जाता है।
4. ख.न. 96 मे से 27200 व.फुट व 10240 व.फुट कुल रकबा 0.3480 हेक्टेयर भूमि तथा ख.न. 97 मे से 5920 व.फुट व 21408 व.फुट कुल रकबा 0.2538 हेक्टेयर बंटवारा प्रस्ताव अनुसार रास्ते की भूमि घोषित की जाती है। बंटवारा प्रस्ताव अनुसार बंट घोषित होने से बंटवारा प्रस्ताव मय नजरीनक्सा निर्णय एंव डिक्री आदेश का अभिन्न भाग रहेगा।
5. ख.न. 96 व 97 तथा 97/1 मे से रास्ते की भूमि को छोडकर वादी एवं प्रतिवादीगण के बंट मे घोषित भूमि में बराबर रकबे को छोडकर यदि रकबा अधिशेष रहता है तो नियमानुसार पंजीयन शुल्क वादी के द्वारा जमा करवाने के पश्चात राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही की जावे। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा भरा जाकर तहसीलदा डेह को तकमील तहरीर जारी हो।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

निर्णय आज दिनांक 23/01/2023 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner